



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- नागौर में पुलिस थाना मारोठ का कानिस्टेबल 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 20 अप्रैल, गुरुवार / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा आज नागौर में कार्यवाही करते हुये रामनिवास कानिस्टेबल पुलिस थाना मारोठ, जिला नागौर को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके भाई विरुद्ध दर्ज धोखाधड़ी के प्रकरण में परिजनों के नाम निकालने की एवज में रामनिवास कानिस्टेबल पुलिस थाना मारोठ, जिला नागौर द्वारा 1 लाख रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री कालूराम रावत के सुपरवीजन में एसीबी सीकर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस श्री राजेश जांगिड़ द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री सुरेश चंद द्वारा मय टीम के आज नागौर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये रामनिवास पुत्र श्री हीरालाल निवासी ग्राम सामोता का बास, तहसील रींगस, जिला सीकर हाल कानिस्टेबल पुलिस थाना मारोठ, जिला नागौर को परिवादी से 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी कानिस्टेबल द्वारा शिकायत से पूर्व 20 हजार रुपये एवं शिकायत के सत्यापन के दौरान भी परिवादी से 5 हजार रुपये रिश्वत राशि वसूल कर ली थी। उक्त रिश्वत राशि भी आरोपी की ईत्तला पर एसीबी टीम द्वारा मौके से बरामद की गई है। मामले में प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी एवं अन्य की भूमिका की भी विस्तृत जाँच की जा रही है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।